uxj ifj"kn jkeiqj cq'kgj] ftyk f'keyk fgekpy izns'k ds ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2007 ls 03@2011

Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ izkjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रामपुर बुषैहर, जिला षिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.kk/khu vof/k ds nkSjku fuEuof.kZr iz/kku o dk;Zdkjh vf/kdkjh uxj ifj"kn jkeiqj cq'kgj esa rSukr Fks %&

iz/kku %&

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री दीपक सूद	01.04.2007 से 31.03.2011

dk;Zdkjh vf/kdkjh %&

1	श्री बी0आर0 नेगी	01.04.2007 से 04.05.2007
2	श्री विजय शर्मा	04.05.2007 से 25.02.2008
3	श्री जगदीष लाल	05.03.2008 से 07.05.2008
4	श्री पी0एस0 नेगी	07.05.2008 से 23.06.2008
5	श्री षिव लाल बंसल	25.06.2008 से 03.09.2008
6	श्री पी0एस0 नेगी	03.09.2008 से 06.10.2008
7	श्री बी0आर0 नेगी	07.10.2008 से 31.03.2011

¼[k½ uxj ifj"kn jkeiqj cq'kgj] ftyk f'keyk fgekpy izns'k ds ys[kk vof/k 01-04-2007 ls 31-03-2011 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkjA

ijk la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj
पैरा 7	बैंकों में सावधि जमा में निवेष करने पर ब्याज की ₹172071/–ब्याज की कम प्राप्ति।
पैरा 8	दुकानों/स्टालों के किराएदारों से ₹17,50,395/–की दिनांक 31.03.11 तक वसूली न करना।
पैरा 9	दुकानों के किराये ₹18,885/–की कम मांग करना।
पैरा 11	गृहकर की ₹60,34,122/–की वसूली न करना।
पैरा 14	गृहकर की दरों में वृद्धि न करने से ₹32.34 लाख की हानि।
पैरा 15	छज्जा कर, कुत्ता कर इत्यादि की ₹103581/–की वसूली न करना।
पैरा 16	लकड़ी विक्रय करने पर ₹54748/–की वसूली न करना।
पैरा 21	₹10120/–की तहबजारी राषि की कम वसूली करना।
पैरा 25	दूसरे विभागों को अग्रिम रूप में दी गई ₹7706458/–की राषि का समायोजन न करना।
पैरा 26	गलत वेतन निर्धारण के कारण नगर परिषद कर्मचारियों को ₹223407/–की राषि के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान।
पैरा 27	वेतन सम्बन्धी बिलों में ₹35,15,403/–की राषि का अधिक भुगतान।
पैरा 29	विज्ञापनों पर ₹2,61,909/–की राषि का बिना स्वीकृति प्राप्त किए अनियमित भुगतान।
पैरा 30	₹56365/–की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही व्यय करना।
पैरा 31	संषोधित तकनीकी स्वीकृति के बिना ₹10,44,845/–की राषि का अनियमित व्यय।
पैरा 33	₹69,900/–का बिना स्वीकृति के उचित खर्चा घोषित करना।
पैरा 34	₹30,400/–के उपहार अनियमित व्यय।
पैरा 35	बिना स्वीकृति के ₹8.68/–लाख की राषि के सामान का अनियमित क्रय।
पैरा 36	बिना स्वीकृति के चालक के पद पर नियुक्ति करना।

पैरा 37	डीजल की अधिक खपत के कारण ₹19,679/—की हानि।
पैरा 38	₹33,979/—के बिजली के सामान की अनियमित खपत दर्षाना।
पैरा 40	नगर परिषद की चल व अचल सम्पति की प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाना।

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''..........'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद रामपुर बुषैहर, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष के लेखों अवधि 04/2007 से 03/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री शेरसिंह कायथ, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री रविन्दर सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.05.2011 से 01.08.2011 तक रामपुर बुषैहर में किया गया। मास 04/07, 11/08, 05/09, 08/10 का चयन आय की पड़ताल तथा माह 10/07, 07/08, 03/10 व 06/10 का चयन व्यय की पड़ताल हेतु किया गया। लेखा परीक्षा के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाए जाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष उत्तरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद रामपुर बुषैहर के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹44,800/–बनता है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर को सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1074, दिनांक 01.08.2011 द्वारा उपरोक्त राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर ने ₹44,800/–की राषि को हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक (सीमित) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्याः 230355, दिनांक 08.08.2011 द्वारा भेज दी थी जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

4 foRrh; fLFkfr %&

अंकेक्षणाधील अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था। प्रस्तुत वित्तीय स्थिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना/विवरण तथा अंकेक्षण दल द्वारा मास 04/2007, 10/2007, 07/2008, 11/2008, 05/2009, 03/2010, 06/2010 व 08/2010 की रोकड़ बही में दर्षाए गए आंकड़ों की पड़ताल पर अधारित है :–

Year	Income from	Opening Balance	Income	Intrest	Total	Exp.	Closing Balance
2007-08	Own Sources	6687499	10704410	413818	17805727	11370967	6434760
	Grant in aid	4048115	6461339		10509454	3488223	7021231
	Total	**10735614**	**17165749**	**413818**	**28315181**	**14859190**	**13455991**
2008-09	Own Sources	6434760	11168512	516523	18119795	10339218	7780577
	Grant in aid	7021231	5386481		12407712	4260465	8147247
	Total	**13455991**	**16554993**	**516523**	**30527507**	**14599683**	**15927824**
2009-10	Own Sources	7780577	11721878	380831	19883286	15426179	4457107
	Grant in aid	8147247	12074524		20221771	4802685	15419086
	Total	**15927824**	**23796402**	**380831**	**40105057**	**20228864**	**19876193**
2010-11	Own Sources	4457107	19834696	1028036	25319839	16185892	9133947
	Grant in aid	15419086	13036921		28456007	15401164	13054843
	Total	**19876193**	**32871617**	**1028036**	**53775846**	**31587056**	**22188790**

रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2011 को अन्तिम शेष	2,21,88,790.00
चैक जो जारी किए गए परन्तु 31.03.11 तक बैंक में डैबिट नहीं हुए	(+) 12,879.00
चैक जो बैंक खाते में जमा नहीं हुए परन्तु रोकड़ में लिए गए	(–) 76,179.00
कैष जो दिनांक 31.03.11 को जमा नहीं हुआ	(–) 24,802.00
अंकेक्षण अवधि 04/75 के दौरान रोकड़ व बैंक खाते में अन्तर	(–) 1,001.00
दिनांक 31.03.11 को बैंक खातों में जमा राषि	2]20]99]687-00

cSad [kkrk e: fnukd 31-03-11 dk tek jkf'k dk fooj.k %&

i)	खाता संख्याः 11156829314 भारतीय स्टेट बैंक रामपुर	63,42,346.00
ii)	खाता संख्याः 5226 हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक व सीमित रामपुर	42,36,061.00
iii)	खाता संख्याः 1000077292, पंजाब नैषनल बैंक रामपुर	8,55,313.00
iv)	खाता संख्याः 80514500038, एच0डी0एफ0सी0 बैंक रामपुर	25,35,421.00

v)	खाता संख्याः 78, कैनरा बैंक रामपुर	9,81,169.00
vi)	हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक में सावधि जमा संख्या5 693897 में जमा राषि	11,49,377.00
vii)	कैनरा बैंक में सावधि जमा संख्या 65435 में जमा राषि	60,00,000.00
		2]20]99]687-00

5 lkof/k tek %&

नगर परिषद रामपुर द्वारा निम्नलिखित राषियाँ सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2011 तक निवेष की गई थी जिन को परिपक्वता तिथि को पुनः निवेष/आहरण करना सुनिष्चित करें :–

Øe l[;k	lkof/k [kkrk l[;k	cd dk uke	fnukd	fuof'kr jkf'k ¼₹½	ifjiDork frfFk
1	693897	हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक	14.01.09	11,49,377.00	14.01.2012
2	65435	कैनरा बैंक	20.10.10	60,00,000.00	30.07.2011
				71]49]377-00	

6 vuqnku jkf'k %&

नगर परिषद रामपुर को अवधि 01.04.2007 से 31.03.2011 तक प्राप्त अनुदान राषि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–''क'' में दर्षाया गया है। शेष बची राषि को नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिष्चित करें।

7 cdk e fuo'k dh xb jkf'k ij n; C;kt dh xyr x.kuk l C;kt dh ₹172071@&de ikIr djuk %&

निवेश रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान बैंकों में सावधि जमा योजना में निवेषित राषि पर देय ब्याज की गलत गणना से ब्याज की राषि ₹172071/–कम प्राप्त की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर ब्याज की उचित राषि प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ब्याज के रूप में कम प्राप्त राषि ₹172071/–का विवरण निम्न प्रकार से है।

fuos'k dh frfFk	fuos'k dh jkf'k	C;kt nj	ifjiDork dh frfFk	fuos'k ij izkIr C;kt dh jkf'k	vdk{k.k vuqlkj tks jkf'k izkIr gksuh pkfg,	de izkIr C;kt dh jkf'k
14.08.08	1,85,309.00	9.5%	14.08.09	16,770.00	18,241.00	1,471.00
14.08.09	2,02,079.00	6%	14.08.10	8,443.00	12,400.00	3,957.00
29.01.09	20,26,384.00	5.35%	31.10.09	23,202.00	82,401.00	59,199.00
29.01.09	10,12,945.00	5.35%	31.10.09	11,626.00	29,564.00	17,938.00
31.10.09	20,49,586.00	5.35%	30.04.10	72,343.00	1,11,872.00	39,529.00
31.10.09	10,24,571.00	5.35%	30.04.10	37,125.00	87,102.00	49,977.00
					dqy jkf'k	₹1]72]071-00

8 nqdkuksa@LVkyksa ds fdjk,nkjksa ls ₹17]50]395@&dh jkf'k 31-03-2011 rd olwyh u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान दुकानों/स्टालों/मकानों के किराए रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित किराएदारों से दिनांक 31.03.11 तक ₹17,50,395/—बकाया किराए की राषि वसूली हेतु लम्बित थी नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु कोई ठोस पग नहीं उठाये गए। उक्त किराएदारों में से कुछ मामले न्यायालय में निर्णय हेतु विचाराधीन है किराएदारों से बकाया किराए की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Øe la[;k	nqdku@LVkWy u0	fdjk,nkj dk uke	ekx ,oa lexz jftLVj i"B la0	fnukad 31-03-11 dks fdjk, dh cdk;k jkf'k
1	1	श्री राज कुमार	63	3,960.00
2	14	श्री श्याम लाल	63	330.00
3	15	श्रीमति मीरा गौतम	63	480.00
4	31	श्री श्याम लाल	63	2,565.00

5	38	श्री मति चन्द्रबटी	63	1,210.00
6	39	श्री मति शीला देवी	64	10,784.00
7	40	श्री सुरेन्द्र कुमार	64	4,908.00
8	41	श्री राकेष कुमार	64	4,684.00
9	43	श्री बालक राम	64	1,728.00
10	44	श्री अषोक बंसल	64	15,446.00
11	49	श्री मति पुष्पा देवी	65	30,524.00
12	50	श्री मुल राज	65	40,839.00
13	51	श्री विजय कमल	65	16,643.00
14	52	श्री रमेष कुमार	65	13161.00
15	53			2,29,402.00
16	54	श्री गोवर्धन दास	65	12,296.00
17	64	श्री पदम देव	66	9,533.00
18	65	श्री पदम दास	66	14,510.00
19	70	श्री सुषील कुमार	66	11,335.00
20	73	श्री केसर सिंह	66	46,861.00
21	17(ए)	श्री हीरा नन्द	66	5,425.00
22	75	श्री राजन अरोड़ा	66	2684.00
23	76	श्री भगवान दास	66	15,140.00
24	77	श्री बासु देव	67	20,438.00
25	78	श्री विकास गुप्ता	67	44,053.00
26	79	श्री मति उर्मिला देवी	67	45,575.00
27	80	श्रीमति कमला देवी		1,310.00
				₹6]05]824-00

bfUnjk ekfdZV&iFke pj.k

28	1 व 2	श्री दीन मोहम्मद	70	20,318.00
29	3 व 4	श्री मनोज कुमार	70	4,778.00
30	6	श्री अनन्त नेगी	70	1,023.00
31	7	श्रीमति शान्ति नेगी	70	2,313.00
32	8	श्री राम कुमार	70	24,780.00
33	9	श्री वीर सिंह	70	6,628.00
34	11	श्री इन्द्र मोहन	70	968.00
35	16	श्री इन्द्र सिंह	71	97,428.00
36	20	श्रीमति ऊमा नेगी	71	1,189.00
37	21	श्री मान दास	71	254.00
38	22	श्री शोबा राम	71	13,918.00
39	15(ए)	श्री नानक चन्द	71	652.00
40	25	श्री सुरेन्द्र कुमार	72	1,273.00
41	26	श्री जान्सी राम	72	7,615.00
42	28 व 29	श्री सुभाष चन्द	72	6,278.00
43	30 व 31	श्रीमति पुनम कपूर	72	7,808.00
44	32	श्री मन मोहन	72	12,588.00
45	34	श्री मति लीला देवी	73	2,300.00
46	35	श्री आरिफ शेख	73	6,900.00
47	36	श्रीमति कविता देवी	73	10,095.00
48	37	श्री सोम लाल	73	901.00
49	38	श्री खेम सिंह	73	3,528.00
50	39	श्री श्याम लाल	73	3,352.00
51	40	श्री निरंजन देव	73	2,312.00

52	41	श्री गंगा राम	73	8,297.00
				₹2]47]556-00

bfUnjk ekfdZV f}rh; pj.k

53	1	श्री निरंजन देव	76	924.00
54	2	श्री तिलक राज	76	34,834.00
55	10	श्री नन्द लाल	76	5,882.00
56	15	श्री हितेन्द्र गुप्ता	76	6,936.00
57	7	श्री षिव कुमार	76	5,824.00
58	9	श्री ओम प्रकाष	76	18,680.00
59	11 व 12	श्री रजनीष सूद	76	15,180.00
60	14	श्री कुलदीप सूद	77	16,146.00
61	21	श्रीमति अमरवती	77	8,184.00
62	23	श्री बलवीर सिंह	77	18,074.00
63	24	श्री गोकुल नन्द	78	11,776.00
64	27	श्रीमति इन्दु कंवर	78	11,550.00
65	28	श्री राजकुमार	78	2,803.00
66	30 व 31	श्री मनोज कुमार	78	19,544.00
67	32	ब्लाक प्राईमरी आफिस	80	60.00
68	16	सिविल सप्लाई रामपुर	80	8,381.00
69	8	श्री अनूप गुप्ता	80	6,237.00
70	33	बिजली विभाग	80	8,236.00
71	4	सिविल सप्लाई गैस एजैन्सी	80	11,100.00
				₹2]10]351-00

fdjk;snkj ftUgksus nqdkus [kkyh dj nh mUkdk yfEcr

fdjk;k

72	44	श्री रमेष कुमार	68	7,050.00
73	31	श्री सोहन लाल	68	13,250.00
74	52	श्री मकरबन लाल	68	79,240.00
75	68	श्री अष्वनी	68	39,447.00
76	50	श्री षिव प्रसाद	68	42,140.00
77	53	श्री सुरेन्द्र सिंह	68	92,498.00
78	60	श्री तोला राम	68	8,100.00
79	62	श्री सुनील कुमार	68	9,435.00
80	12	श्री सुदेष कुमार	75	10,360.00
81	18	श्री प्रमोद राय	75	2,720.00
82	11	को–ऑपरेटिव सोसाईटी	75	23,440.00
83	37	श्री अब्दुल हामिद	75	11,110.00
84	16	श्री सोहन लाल	75	32,470.00
85	24	श्री सादु राम	75	16,800.00
86	10	श्री बंसी लाल	79	3,620.00
87	23	श्री मति जबन दासी	79	24,975.00
88	20	श्री षिव लाल	79	11,300.00
89	28	श्री किषोर सरकेक	79	700.00
90	8	श्री बुद्धि सिंह	79	50,970.00
91	16	चन्द्र प्रभा	79	41,660.00
92	9	श्री हिम्मत कुमार	79	14,000.00
93	4	श्री एफ0आर0 शर्मा	79	15,080.00
94	29	श्री तिलक राज	79	16,175.00
				₹5]66]540-00

ljdkjh vkokl dk yfEcr fdjk;k

95	1	सचिव राम लीला क्लब	61	1,750.00
96	2	श्री अमिताभ कपूर	61	8,340.00
97	3	श्री नन्द लाल	61	208.00
98	4	सरकारी कर्मचारियों से लम्बित	59 व 60	221.00
				₹10]519-00

yht ij nh xbZ nqdkuksa dk yfEcr fdjk;k

99	11	श्री रूप लाल	29,119.00
100	17 व 24	श्री राकेष कुमार	35,195.00
101	18 व 23	श्री मति ममता	24,866.00
102	1	श्री कृष्ण सिंह	6,600.00
103	2	श्रीमति सत्या देवी	6,600.00
104	82	श्री नन्द किषोर	7,225.00
			₹1]09]605-00
		कुल लम्बित/बकाया किराया	₹17]50]395-00

9 ₹18]885@&nqdkuksa ds fdjk;s dh de ekax djuk%&

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न दुकानदारों से ₹18885.00 के किराये की माँग, मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर मे कम दर्षायी गई थी। ₹18885/– दुकानों के किराये की कम माँग करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की माँग, सम्बन्धित रजिस्टर में दर्षाकर राषि की वसूली सम्बन्धित दुकानदारों से सुनिष्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

nqdkunkj dk uke	ekax ,oa izkfIr jftLVj i`0la0	vof/k ftlds gsrq fdjk;s dh ekax dh tkuh gS	ekg ftlds gsrq fdjk;s dh ekax dh tkuh gS	ekfld fdjk;k	fdjk;s dh dqy ekax	fdjk;s dh tks ekax dh xbZ	fdjk;s dh dqy de ekax
कान्ता देवी	43	01.04.09 से 31.03.10	12	485	5820	1455	4365

बृज	लाल शर्मा	5	01.06.07 से 31.03.11	46	660	30360	15840	14520
							dqy jkf'k	₹18885

10 bfUnjk ekfdZV esa nqdku uEcj 4 dk vfu;fer vkcaVu %&

हिमाचल प्रदेष म्यूनसीपलटीज लीज नियम 2001 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दुकानों का आबंटन समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन पश्चात खुली बोली द्वारा किए जाने का प्रावधान है परन्तु नगर परिषद द्वारा इन्दिरा मार्किट में दुकान नम्बर–4 का आबंटन हिमाचल प्रदेष खाद्य एवं आपूर्ति निगम को प्रस्ताव संख्याः 366/04, दिनांक 31.03.10 द्वारा ₹10000/–प्रतिभूति राषि तथा ₹1000/–मासिक दर पर दिनांक 28.04.10 से किया गया हिमाचल प्रदेष खाद्य एवं आपूर्ति निगम रामपुर द्वारा अभी तक नगर परिषद को प्रतिभूति राषि का भुगतान नहीं किया गया न ही कोई मासिक किराया दिया गया नगर परिषद द्वारा अभी तक करारनाम भी नहीं बनाया गया नियमानुसार दुकान का आबंटन लीजींग नियमानुसार खुली बोली द्वारा किया जाना था ताकि नगर परिषद को अधिक आय प्राप्त होती इस प्रकार दुकान का आबंटन करना अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि दुकान के अनियमित आबंटन हेतु दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए व उक्त दुकान के आबंटन को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर किराये की वसूली सुनिष्चित की जाए अन्यथा उक्त दुकान का आबंटन रद्द करके लीजींग नियम अनुसार दुकान का आबंटन किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

11 x`gdj ₹6034122@&dh olwyh u djuk %&

नगर परिषद रामपुर बुषैहर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को ₹6034122/–गृहकर की राषि वसूली हेतु लम्बित थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ख'' में दिया गया है।

उक्त उपलब्ध करवाई गई सूचना से स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा बकाया राषि की वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिस कारण गृहकर की बकाया राषि में बढ़ौतरी हो रही हैं हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0एच0(सी)(10)–7/98–11, दिनांक 17.11.2003 द्वारा सभी स्थानीय निकायों को गृह कर की 100% वसूली हेतु उचित कदम उठाने बारे कहा गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु ठोस कदम न उठाना सरकार के नियमों की अवहेलना है।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आष्य के साथ लाया जाता है कि नगर परिषद को गृहकर की वसूली हेतु आदेष दिए जायें ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 xgdj fcyks esa i.kk foojk.k ntZ u djus ls ₹1371@&dh vfu;fer NwV ¼&

गृहकर से प्राप्त आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित करदाताओं को गृहकर के भुगतान करने पर 2 प्रतिषत की दर से गृहकर में छूट प्रदान की गई थी परन्तु करदाताओं द्वारा गृहकर का बिल कब प्राप्त किया का विवरण बिल बुक में उपलब्ध नहीं था केवल उन्हीं करदाताओं को 2% की दर से छूट दी जा सकती थी जिन द्वारा बिल प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर–अन्दर बिल का भुगतान किया गया हो। अतः बिल प्राप्ति तिथि की पुष्टि बिना 2% की छूट प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से प्रदान की गई छूट की राषि ₹1371/–की वसूली सम्बन्धित करदाताओं या दोषी कर्मचारी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

jlhn l[;k	fnukd	xgdj dh ikIr jkf'k	NwV iznku dh xbZ ¼₹½	djnkrk dk uke	okMZ l[;k
14299	29.03.08	17537	358	अनिल कुमार	6
17645	03.02.10	49540	1013	डिवीजनल मैनेजर वन विभाग	–
	dqy vfu;fer NwV		₹1371@&		

13 xgdj olwyh esa ₹817@&dh vfu;fer NwV ¼&

अंकेक्षण के दौरान गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित करदाताओं को गृहकर पर ₹817/–की अनियमित छूट प्रदान की गई नियमानुसार वर्तमान वर्ष के गृहकर पर 2% की छूट तब प्रदान की जा सकती थी यदि करदाता पिछला बकाया व वर्तमान वर्ष के गृहकर की राषि को नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के भीतर पूरी राषि जमा करवाये परन्तु निम्नलिखित मामलों में 2% की छूट प्रदान करने के पष्चात भी करदाताओं से गृहकर की राषि की वसूली शेष थी इस प्रकार प्रदान की गई 2% की छूट अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली सम्बन्धित करदाता/कर्मचारी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

djnkrk dk	xgdj	foÙkh; o"kZ	xgdj dk	xgdj dh	2% dh	Hkqxrku ds

uke	jftLVj i0 l0		dqy cdk;k	ikIr jkf'k	NwV dh jkf'k	ckn cdk;k jkf'k
राम कृष्ण	50	2008—09	39888	39090	399	399
दागु राम	1	2009—10	2964	2835	29	100
ओम प्रकाष	79	2009—10	4574	4482	55	37
एस0पी0 नेगी	60	2008—09	15848	7765	159	7924
बसन्त लाल	37	2010—11	6827	6690	66	71
कला देवी	37	2010—11	6262	6137	109	16
			dqy vfu;fer NwV		₹817@&	

14 xgdj dh njksa esa of) u djus ls ₹32]34]214@&dh gkfu %&

नगर परिषद द्वारा गृहकर दाताओं पर 10% की दर से गृहकर आरोपित किया गया था जबकि निदेषक, शहरी विकास (हिमाचल प्रदेष) सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0एच0(सी)(10)—7/98—11, दिनांक 17.11.2003 के अनुसार सभी स्थानीय निकायों को निम्न विवरणानुसार गृहकर आरोपित किया जाना अपेक्षित था।

o"kZ	xgdj dh nj
2002—03	7.5%
2003—04	8.5%
2004—05	10%
2005—06	11.5%
2006—07	12.5%
2007 से 2011 तक	12.5%

लेकिन परिषद द्वारा अवधि 2007 से 2011 तक गृहकर की मांग व वसूली 10% की दर से की गई थी। जबकि इस अवधि के लिए गृहकर की मांग व वसूली 12.5% की दर से की जानी अपेक्षित थी। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार न करने से परिषद को अवधि 2007—08 से 2010—11 तक गृहकर की आय में ₹32,34,214/—की हानि हुई। इस राषि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है। अतः वर्ष 2007—08 से वर्ष 2010—11 के दौरान गृहकर की मांग व वसूली अपेक्षित दर से न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए। कम वसूल की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

o"kZ	x`gdj gLr 'kq) jkV,cy oLV;q ¼₹½	**10%** dh nj ls vkjksfir x`gdj ¼₹½	**12.5%** dh nj ls vkifŸkr x`gdj ¼₹½	njkas esa of) u djus ls gkbZ gkfu ¼₹½
2007–08	3,16,10,740.00	3,16,10,074.00	39,51,343.00	7,90,269.00
2008–09	3,04,58,840.00	30,45,884.00	38,07,355.00	7,61,471.00
2009–10	3,09,63,420.00	30,96,342.00	38,70,428.00	7,74,086.00
2010–11	3,63,35,500.00	36,33,550.00	45,41,938.00	9,08,388.00
			dqy ;ksx	₹32]34]214-00

15 NTtk] dqÙkk] lkbu cksMZ] bR;kfn djksa dk fnukad 31-03-11 rd ₹1]03]581-00 dh olwyh 'ks"k&

नगर परिषद की विभिन्न साधनों से प्राप्त आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को निम्न विवरणानुसार विभिन्न करों की ₹1,03,581.00 की राषि वसूली हेतु शेष थी। शेष राषि की वसूली हेतु उचित एंव कारगर कदम उठाए जाने सुनिष्चित किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

NTtk dj

Øe la[;k	djnkrk dk uke	fnukad 31-03-11 dks djksa dh 'ks"k jkf'k ¼₹½
1	राम चन्द्र	46.00
2	सतीष ब्रदर्ज	63.00
3	रामेष्वर	92.00
4	रमेष कुमार	132.00
5	नन्द किषोर	98.00
6	मुन लाईट टेलर	70.00
7	जुगल किषोर	104.00

lkbu cksMZ dj

1	मैनेजर सतलुज जल विद्युत झाकड़ी	675.00
2	सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	811.00
3	यषपाल	40.00

4	अंषुल इन्टरप्राईज़ेज	972.00
5	वी0सी0एम0टी0 सतलुज व्यू गैस्ट हाऊस	336.00
6	डा0 वालिया मरीना होटल षिमला	10800.00
7	मैसर्ज रूपा कम्पनी	21384.00
8	हेम लता सागर	10236.00
9	बसंल सैन्ट्रप्राईज़ेज	18972.00
10	मल्हौत्रा बुक डिपो	19200.00
11	एल0जी0 इलैक्ट्रोनिक	16650.00
dÙkk dj		
1	प्रताप गुप्ता	50.00
2	बंसी लाल ठाकुर	450.00
3	ऊमा नेगी	350.00
4	सचिन सूद	50.00
5	सूरत राम	500.00
6	रमेष शर्मा	450.00
7	दौलत राम	400.00
8	अमर सिंह	100.00
9	टी0एस0 नेगी	50.00
10	खुषी राम	50.00
11	गोपाल कृष्ण	200.00
12	प्रदीप गुप्ता	250.00
	dqy jkf'k	₹1]03]581-00

16 ₹54]748@&dh ckyu ¼ydMh½ dh olwyh u djuk %&

नगर परिषद रामपुर के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न राषि की बालन (लकड़ी) अध्यक्ष एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) रैड क्रास सोसायटी रामपुर बुषैहर को शव इत्यादि जलाने हेतु दी गई थी। उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) को जारी की गई लकड़ी की कीमत अंकेक्षण की अवधि तक नगर परिषद को प्राप्त नहीं हुई थी जो कि अनियमित है। दिनांक 31.03. 2011 तक कुल ₹54,748/—की राषि उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) रामपुर से प्राप्त की जानी शेष

थी। नगर परिषद इस राषि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

Øe la[;k	fcy la[;k	fnukad	tkjh dh xbZ ydMh dh dher ¼₹½
1	201	04.12.96	2,040.00
2	202	25.02.97	2,040.00
3	203	20.06.97	2,040.00
4	204	17.01.98	2,840.00
5	205	16.02.98	3,200.00
6	206 व 207	13.05.99	5,600.00
7	208	17.12.99	960.00
8	209	22.12.99	880.00
9	210	02.12.2000	1,984.00
10	211	08.09.2000	2,440.00
11	213	18.03.2002	7,000.00
12	214	13.11.2002	1,060.00
13	215	02.01.2003	1,060.00
14	216	29.04.2003	1,060.00
15	217	18.12.2003	2,120.00
16	217	02.01.2004	1,060.00
17	219	27.03.2004	2,160.00
18	220	03.05.2004	1,060.00
19	221	17.06.2004	1,060.00
20	222	19.06.2004	1,060.00
21	223	18.07.2004	1,060.00
22	225	31.01.2005	1,280.00
23	226	30.03.2005	1,280.00
24	227	16.09.2005	1,500.00
25	228	02.09.2006	1,104.00
26	229	07.11.2006	1,360.00

27	230	08.01.2007	1,360.00
28	235	09.06.2009	1,540.00
29	236	06.01.2010	1,540.00
		dqy ;ksx	₹54]748-00

17 ₹17]300@&dh 'kks VSDl dh jkf'k dh olwyh u djuk ¼&

नगर परिषद द्वारा विडीयो मालिकों पर ₹10/– प्रति शो की दर से टैक्स आरोपित किया गया था अंकेक्षण के दौरान शो टैक्स मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.11 को निम्नलिखित विडियो मालिकों से ₹17,300/–शो टैक्स की राषि की वसूली शेष थी इस राषि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

Øe la[;k	fofM;ks ekfyd dk uke	ekax ,oa izkfIr jftLVj i"B la[;k	fnukad 31-03-11 dks olwyh gsrq 'ks"k ¼₹½
1	प्रेम ठाकुर	11	3,820.00
2	स्नेह लता	45	620.00
3	सुरेष कुमार	47	1,620.00
4	प्रमोद कुमार	49	11,240.00
		dqy jkf'k	₹17]300-00

18 eksckby Vkoj uohuhdj.k 'kqYd ₹20]000@& dh olwyh u djuk ¼&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः यू0डी0–एच0ए0(7)–1/2006–10396–10444, दिनांक 25.09.2006 के अनुसार नगर परिषद परिधि में लगने वाले मोबाईल टावर पर स्थापना शुल्क ₹10,000/–व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5000/–प्रतिवर्ष की दर पर लगाया गया है मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद परिधि में लगे मोबाईल टावरों से अवधि 31.03.2011 तक ₹20,000/–की वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राषि की वसूली सम्बन्धित टावर कम्पनी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Øe la[;k	eksckby dEiuh dk uke	Vkoj LFkkfir djus dh frfFk	eksckby Vkoj jftLVj i"B la[;k	jkf'k tks olwy dh tkuh gS ¼₹½
1	बी0एस0एन0एल0 टैलीफोन	25.09.06 से पूर्व	1	7,500.00

	एकसचेन्ज			
2	बी0एस0एन0एल0एम0एम0 स्टेषन	25.09.06 से पूर्व	3	7,500.00
3	वोडाफोन	30.04.09	9	5,000.00
			dqy jkf'k	₹20]000-00

19-1 Rkgc tkjh jlhn cqdksa dk lR;kiu u djuk %&

तहबजारी से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा तहबजारी रसीद बुकों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है नियमानुसार रसीद बुक को प्रयोग करने से पूर्व अधिकारी द्वारा, रसीदों की कुल संख्या का सत्यापन किया जाना अपेक्षित होता है। तथा रसीद बुक के सत्यापन से रसीदों के दुरूपयोग की सम्भावना नहीं रहती है रसीद बुकों के सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सभी रसीद बुकों का सत्यापन नियमानुसार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

19-2 [kkyh rgc tkjh jlhnksa dh ewy izfr vfHkys[k esa miyC/k u gksuk %&

तहबजारी रसीदों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न रसीदों को खाली रखा गया खाली रखी गई रसीदों की मूल प्रति अभिलेख में मौजूद नहीं पाई गई जिससे इन रसीदों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता नगर परिषद द्वारा खाली रखी गई रसीदों का सत्यापन भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है नियमानुसार यदि कोई रसीद रद्द की जाती है या खाली रखी जाती है तो उसकी मूल प्रति अभिलेख में उपलब्ध होनी चाहिए तथा रसीद का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अतः खाली रखी गई तहबजारी रसीदों का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा विभागीय स्तर पर इन रसीदों की पड़ताल करके यह सुनिष्चित किया जाए कि इन रसीदों का दुरूपयोग नहीं हुआ है तथा यदि इन रसीदों का दुरूपयोग नहीं हुआ है तो इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करके इन विभाग को अवगत करवायें तथा भविष्य में रसीदों को इस प्रकार खाली न रखा जाना सुनिष्चित किया जाए।

Øe la[;k	jlhn la[;k
1	239
2	273
3	278
4	701

20 yoh esys ds nkSjku ljdkjh foHkkxksa ds izn'kZuh LVkyksa ds fdjk, dh jkf'k ₹87]200@&dh olwyh u djuk ¼&

तहबजारी रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विभागों ने लवी मेले के दौरान प्रदर्षनी लगाने हेतू स्टॉल किराए पर लिए थे परन्तु उनसे किराया प्राप्त नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है सम्बन्धित विभागों से शीघ्र किराये की राषि वसूल करके नगर परिषद खाते में जमा किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

Øe la[;k	foHkkx dk uke	yoh esyk vof/k	lykV uEcj	rgc tkjh jftLVj i"B la[;k	rgc tkjh@fdjk; dh jkf'k ¼₹½
1	निदेषक, लोक सम्पर्क विभाग षिमला	वर्ष 2008	4 व 5	64	24,200.00
2	निदेषक, लोक सम्पर्क विभाग षिमला	वर्ष 2009	5 व 26	77	28,000.00
3	जनरल मैनेजर जिला उद्योग षिमला	वर्ष 2009	17 व 18	77	28,000.00
4	अधीक्षक डाक विभाग रामपुर बुषैहर	वर्ष 2010	21	85	7,000.00
				dqy jkf'k	₹87]200-00

21 <u>₹10120@&rgc tkjh jkf'k dh de olwyh</u> %&

लवी मेला व फाग मेला में प्राप्त तहबजारी राषि की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों द्वारा तहबजारी की वसूली निर्धारित दर से कम दर पर कम प्राप्त की गई तहबजारी राषि की वसूली उचित माध्यम से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवायें।

jlhn la[;k	fnuakd	jkf'k ikIr dh xbZ ¼₹½	fu/kkZfjr nj ls jkf'k ikIr dh tkuh Fkh ¼₹½	de ikIr dh xbZ jkf'k ¼₹½
2177	14.03.09	330.00	1250.00	920.00
2991	18.11.07	700.00	800.00	100.00
2995	18.11.07	700.00	800.00	100.00
19553	17.02.11	9500.00	14000.00	4500.00
19554	17.02.11	9500.00	14000.00	4500.00
			dqy ;ksx	₹10]120-00

22 नगर परिषद रामपुर बुषैहर के प्रस्ताव संख्या 238, दिनांक 20.10.08 द्वारा लवी मेला 2008 के लिए तहबजारी शुल्क निर्धारित किया गया था प्रस्ताव अनुसार मेला मैदान में ₹50/–प्रति वर्ग

फुट व मेला मैदान से बाहर सड़क व रास्तों पर ₹30/—प्रति वर्ग फुट की दर तहबजारी शुल्क की वसूली की जानी थी परन्तु तहबजारी रसीदों की पड़ताल पर पाया गया कि दुकानदारों को जो प्लाट/स्टॉल दिया गया उसमें यह नहीं दर्षाया गया कि आबंटित प्लाट मेला मैदान के अन्दर है या बाहर जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि आबंटित प्लाट की वसूली निर्धारित दर से की गई थी या नहीं अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि मामले में विभागीय स्तर पर पड़ताल करके यह सुनिष्चित किया जाए कि जिन प्लाट में वसूली ₹30/—प्रति वर्ग फुट के हिसाब से की गई है वास्तव में वह प्लाट मेला मैदान के बाहर थे यदि मेला मैदान के अन्दर प्लाट की वसूली भी ₹30/—प्रति वर्ग फुट की दर पर की गई है तो इन प्लाटों की तहबजारी शुल्क की वसूली निर्धारित दर से की जानी सुनिष्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

jlhn l[;k	fnukd	vkcfVr {k=	ikIr jkf'k	lykV o ndku l[;k
1947	16.11.08	18 x 7 वर्ग फुट	3900	दर्षाया नहीं
1948	16.11.08	10 x 3 वर्ग फुट	900	दर्षाया नहीं
1969	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1970	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1971	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1972	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1973	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1974	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1975	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1976	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1977	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1978	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1979	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1980	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1981	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1982	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1983	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं

1984	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1985	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1986	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1987	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं
1988	16.11.08	10 x 4.5 वर्ग फुट	1400	दर्षाया नहीं

23 मेला लवी (वर्ष 2009) के लिए प्रस्ताव संख्याः 337, दिनांक 15.10.09 द्वारा तहबजारी दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई थी।

(i)	प्रदर्षनी के लिए निर्मित स्टाल	₹55/–प्रति वर्ग फुट + ₹100/–मेला फीस
(ii)	मेला मैदान में स्टाल हेतु स्थान	₹50/–प्रति वर्ग फुट + ₹100/–मेला फीस
(iii)	झूला सर्कस शो आदि	₹21/–प्रति वर्ग फुट + ₹1500/–मेला फीस
(iv)	आकयूट मार्किट	₹25/–प्रति वर्ग फुट + ₹1500/–मेला फीस
(v)	सड़क पर (मेला मैदान से बाहर)	₹30/–प्रति वर्ग फुट + ₹100/–मेला फीस

मेला लवी से प्राप्त किए गए तहबजारी शुल्क की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित स्टालों/दुकानों का आबंटन बिना पैमाईष के किया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि तहबजारी की वसूली निर्धारित दरों से की गई है अथवा अन्यथा बिना माप के प्लाटों/दुकानों के आबंटन का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से आबंटित किए गए प्लाटों/दुकानों से देय तहबजारी शुल्क की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

jlhn la[;k	fnukad	jkf'k ¼₹½	ftl Is lykV@LVky vkcafVr fd;k x;k	lykV@nqdku la[;k
53	07.11.09	20200	तेज सिंह	एच–2 (11 व 12)
54	07.11.09	10100	खेम राज	एच.2 (8)
63	08.11.09	9000	फौजी शाल उद्योग	ए–6 (2)
64	08.11.09	9000	हिमानी ऐन्टरप्राईज़िज	ए–6 (1)
65	08.11.09	11000	मंगत राम	ए–3 (2)
110	13.11.09	7000	सलीम	एच–2 (खुला क्षेत्र)
111	13.11.09	25000	आसिफ अली	ए–5 (23 व 24)
112	13.11.09	1500	रतन	जी–1 (खुला क्षेत्र)
135	14.11.09	2500	लक्ष्मण	खुला क्षेत्र
139	14.11.09	1000	जाबिद	खुला क्षेत्र
140	14.11.09	4000	रीता देवी	खुला क्षेत्र
179	16.11.09	4000	कमल	खुला क्षेत्र
180	16.11.09	900	गगन	खुला क्षेत्र
181	16.11.09	500	ईष्वर	खुला क्षेत्र
201	14.11.09	1500	पवन	खुला क्षेत्र
202	14.11.09	500	हिरा लाल	खुला क्षेत्र
257	17.11.09	2800	धवन	3 व 4
258	17.11.09	2800	रमेष कुमार	8 व 9
259	17.11.09	2800	राजु	12 व 13
260	17.11.09	1400	राजु	16
261	17.11.09	1400	लछी राम	17
262	17.11.09	1400	जय चन्द	19
263	17.11.09	2100	काटु	दर्षाई नहीं
264	17.11.09	1400	श्याम लाल	23
265	17.11.09	1400	जय	25
266	17.11.09	1400	रवि	26
267	17.11.09	2800	कैलाष	28 व 30
268	17.11.09	1400	मूल चन्द	32

269	17.11.09	1400	केषव	33
270	17.11.09	1400	टिटू	33
271	17.11.09	1400	राजू	34
272	17.11.09	2800	बाल कृष्ण	37 व 38
275	17.11.09	2600	अषोक कुमार	3 व 4
276	17.11.09	1300	नत्थू राम	6
277	17.11.09	2600	परस राम	9 व 10
278	17.11.09	1300	कृष्ण लाल	12
279	17.11.09	1400	छोटू	दर्षाया नहीं
280	17.11.09	1500	गुड्डु	दर्षाया नहीं
301	17.11.09	2800	विनोद व चमल लाल	1 व 2
302	17.11.09	1400	दषरथ	5
303	17.11.09	2800	रमेष	6 व 7
304	17.11.09	1400	सुरेष	10
305	17.11.09	1400	जगदीष	11
306	17.11.09	2800	लाल जी	14 व 15
307	17.11.09	1400	राजेन्द्र	18
308	17.11.09	2100	कान्ता	21
309	17.11.09	1400	सोम नाथ	24
310	17.11.09	1400	प्रेम	31
311	17.11.09	1400	रेवा	28
312	17.11.09	1400	जगदीष	35
313	17.11.09	1400	मनोज	36
314	17.11.09	1400	कैलाष	38
315	17.11.09	1400	पैहलाद	39
316	17.11.09	1400	राजू	40
318	17.11.09	2600	अषोक कुमार	1 व 2
319	17.11.09	1300	विजय	5
320	17.11.09	1300	विनोद	7
321	17.11.09	1300	कस्तूरी लाल	8

322	17.11.09	1300	किशोर कमल	11
323	17.11.09	2600	हरीष चन्द्र	13 व 14
326	17.11.09	1400	टीटु	दर्षाया नहीं
327	17.11.09	1000	विजय	दर्षाया नहीं
328	17.11.09	1000	हरपाल	दर्षाया नहीं
330	17.11.09	1500	तहसीम अली	दर्षाया नहीं
341	17.11.09	1300	श्याम	दर्षाया नहीं
343	17.11.09	2000	दुत नाथ	दर्षाया नहीं
357	17.11.09	1200	प्रेम	दर्षाया नहीं
358	17.11.09	1200	अनिल	दर्षाया नहीं
374	18.11.09	2000	हर गोबिन्द	दर्षाया नहीं
393	18.11.09	3000	देव भारती	दर्षाया नहीं
401	17.11.09	1000	बबलू	दर्षाया नहीं
409	17.11.09	1400	नरेष	दर्षाया नहीं
417	17.11.09	1200	सोहन लाल	दर्षाया नहीं
438	18.11.09	1000	सरनू	दर्षाया नहीं
455	18.11.09	1000	देस राज	दर्षाया नहीं

24 dkj ikfdZx o eky mrkjus gsrq [kqyh txg dh uhykeh esa foyEc 'kqYd ₹2900@&dh olwyh u djuk %&

कार पार्किंग व माल उतारने हेतु खुली जगह की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि नीलामी की राषि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त हुई थी नियमानुसार यदि नीलामी की राषि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होती है तो प्रतिदिन के लिए ₹100/—विलम्ब शुल्क की वसूली की जानी थी परन्तु नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित मामलों में ऐसा नहीं किया गया परिणामस्वरूप नगर परिषद को ₹2900/—का नुकसान उठाना पड़ा जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार/कर्मचारी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

vkcfVr txg dk fooj.k	Bdnkj dk uke	Bdk vof/k	Bdk vof/k dh =ekfld jkf'k	=ekfld fdLr dh ns; frfFk	=ekfld fdLr ikfIr dh frfFk	nsjh fnuks esa	foyEc 'kqYd izfr fnu	dqy foyEc 'kqYd dh jkf'k
माल उतारने हेतु खुली जगह	राजेन्द्र	01.04.07 से 31.03.08	22750	01.07.07	04.07.07	3	100	300
माल उतारने हेतु खुली जगह	राजेन्द्र	01.04.07 से 31.03.08	22750	01.01.08	02.01.08	1	100	100
कार पार्किंग पदम क्लब	हुकम सिंह	01.01.10 से 31.12.10	112500	01.10.10	04.10.10	3	100	300
तहबजारी माल उतारना	दिनेष	01.07.10 से 31.07.11	28425	01.10.10	12.10.10	11	100	1100
कार पार्किंग चौधरी बस अड्डा	दिनेष	01.07.10 से 31.07.11	26075	01.10.10	12.10.10	11	100	1100
							dqy jkf'k	₹2900

25 nljs foHkkxksa dks vfxze :i esa nh xbZ ₹77]06]458@&dh jkf'k dk lek;kstu u djuk
%&

नगर परिषद रामपुर के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियों की अदायगी दुसरे विभागों को अग्रिम के रूप में की गई थी इस राषि का समायोजन अंकेक्षण अवधि 31.0.3.2011 तक नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अग्रिम राषि का समायोजन अन्तिम खरीद करने के उपरान्त शीघ्र ही करना होता है। इन राषियों के न ही समायोजन लेखे प्रस्तुत किए गए तथा न ही अग्रिम राषि को वापिस किया गया। समायोजन हेतु लम्बित पड़ी अग्रिम राषियों के समायोजन हेतु शीघ्र आवष्यक एवं प्रभावषाली कदम उठाए जाएं। अग्रिम राषियों के समायोजन लेखे आवष्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिष्चित किए जाएं :–

Ø0 l0	ok0 l0	fnukd	vfxze jkf'k ¼₹½	ftl vfxze Hkqxrku fd;k x;k	vfxze dk mís';
1	104 (बी)	12.06.95	774626.00	उपमण्डल अधिकारी विद्युत	स्ट्रीट लाईट

				रामपुर	प्वाईंट लगाने हेतु
2	198	03.08.99	449400.00	अधिषाषी अभियन्ता एच0 पी0 पी0 डब्ल्यु0 डी0	तारकोल बिछाने हेतु
3	633	06.11.09	23920.00	हिमाचल प्रदेष एग्रो इन्डस्ट्रीज रामपुर	टायर के क्रय हेतु
4	1070	23.03.10	2000000.00	अधिषाषी अभियन्ता आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण षिमला–9	कार पार्किंग के निर्माण हेतु
5	799	18.01.2011	4000000.00	अधिषाषी अभियन्ता आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण षिमला–9	कार पार्किंग के निर्माण हेतु
6	466	23.09.2010	103600.00	अधिषाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल रामपुर	स्ट्रीट लाईट प्वाईंट लगाने हेतु
7	208	28.07.2008	354915.00	अधिषाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल रामपुर	स्ट्रीट लाईट प्वाईंट लगाने हेतु
		dqy ;kx	₹7706458-00		

26 xyr osru fu/kkj.k ds dkj.k ₹223407@&ds osru o HkÙkk dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku djuk&

कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि 01.01.06 से संषोधित वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में ग्रेड पे के गलत चयन के कारण ₹223407/–के वेतन व भत्तों की राषि का अधिक भुगतान किया गया। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली कर्मचारियों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें। अधिक भुगतान किए गए वेतन व भत्तों का कर्मचारी वार विवरण निम्न प्रकार था तथा विस्तृत विवरण परिषिष्ट ''ग'' पर संलग्न है :–

Øe la[;k	deZpkjh dk uke	vof/k	vf/kd Hkxrku dh xbZ jkf'k ¼₹½
1	अर्जुन नेगी	01.01.06 से 31.07.11	16849.00
2	हरि सिंह	01.07.08 से 30.06.11	486.00

3	इन्द्र सिंह	01.01.06 से 31.07.11	2987.00
4	ईष्वर सिंह	01.01.06 से 31.07.11	20373.00
5	दलीप सिंह	01.08.07 से 31.07.11	15882.00
6	गंगी देवी	01.01.06 से 31.07.11	21482.00
7	मोहर सिंह	01.01.06 से 31.07.11	21246.00
8	गुजार सिंह	01.01.06 से 31.07.11	20373.00
9	केहर सिंह	01.01.06 से 31.07.11	20358.00
10	अमर सिंह	01.01.06 से 31.07.11	20667.00
11	नाथी राम	1.01.06 से 31.07.11	20358.00
12	पहल सिंह	01.01.06 से 31.07.11	21173.00
13	किरती सिंह	01.01.06 से 31.07.11	21173.00
		d|y vf/kd Hk|xrku	₹2]23]407-00

27 o|ru o HkÙkks dh jkf'k ij ₹35]15]403@&dk vfu;fer Hk|xrku ¼&

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के ज्ञापन संख्या यु0एल0बी0एच(ए)(7)1/87–9237 से 9284, दिनांक 20.06.2001 तथा हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 53(1)(सी) के अनुसार नगर परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं किया जा सकता था यह वैद्यानिक प्रतिबद्धता सभी स्थानीय निकायों पर लागू की गई थी परन्तु वेतन सम्बन्धि बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद रामपुर ने निम्नविवरणानुसार ₹35,15,403/–के वेतन व भत्तों की राषि का भुगतान कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक किया गया था इस राषि का उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह मामला निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के ध्यानार्थ आवष्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है :–

foÙkh; o"kZ	o"kZ esa d|y 0;; ¼₹½	o|ru lEcfU/k fcyks ij 0;; ¼₹½	fu;ekuqlkj 0;; fd;k tk ldrk Fkk ¼₹½	1@3 Hkkx ls vf/kd 0;; ¼₹½
2005–06	97,70,283.00	36,11,705.00	32,56,761.00	3,54,944.00
2007–08	1,48,59,190.00	54,51,841.00	49,53,063.00	4,98,778.00
2008–09	1,45,99,683.00	64,05,171.00	48,66,561.00	15,38,610.00
2009–10	2,02,28,864.00	78,66,026.00	67,42,955.00	11,23,071.00

₹35]15]403-00

28 yoh esys ls ikIr vk; dh jkf'k esa ls ₹90-07 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku djuk %&

नगर परिषद रामपुर बुषैहर द्वारा वर्ष 2003–04 से वर्ष 2010–11 तक निम्नलिखित राषियों का भुगतान उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं सचिव अन्तराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुषैहर को लवी मेला से प्राप्त आय में से किया गया। नियमों के अन्तर्गत नगर परिषद अपनी आय की किसी भी राषि को बिना सरकार की मंजूरी के अपनी निधि से आहरण नहीं कर सकती थी। इतनी अधिक राषि का नगर परिषद द्वारा अपनी आय मे ंसे भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता हैं। यह मामला प्राधिकारियों के ध्यान में आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस प्रकार के निर्णय नगर परिषद स्वयं न करके सक्षम प्राधिकारी की स्वीकति ली जानी सुनिष्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

o"kZ	yoh esys esa dqy ikIr jkf'k ¼₹½	mi e.Mykf/kdkjh ¼ukxfjd½ dks Hkqxrku dh xbZ jkf'k ¼₹½	yoh esys dh vk; dk Hkkx
2003	16,34,730.00	4,70,000.00	28.75 प्रतिषत
2004	17,91,720.00	4,30,000.00	24.00 प्रतिषत
2005	22,46,925.00	8,95,000.00	39.83 प्रतिषत
2006	24,27,328.00	9,98,331.00	41.21 प्रतिषत
2007	24,36,900.00	10,00,000.00	41.04 प्रतिषत
2008	28,91,710.00	13,96,050.00	48.28 प्रतिषत
2009	33,66,740.00	17,00,000.00	50.49 प्रतिषत
2010	44,35,799.00	21,18,300.00	47.75 प्रतिषत
		₹90]07]681-00	

29 foKkiuksa ij ₹2]61]909@&dh jkf'k dk fcuk Lohd`fr ikIr fd, vfu;fer O;; %&

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(ए)(7)–1/87–9237 से 9284, दिनांक 20.06.2001 द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देषों के अन्तर्गत विज्ञापनों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया था और विज्ञापनों पर व्यय सरकार/निदेषक, शहरी विकास की स्वीकृति उपरान्त ही किया जा सकता था परन्तु नगर परिषद ने विज्ञापनों पर निम्न विवरणानुसार

₹2,61,909/–की राषि का व्यय स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया था जो कि अनियमित है। हिमाचल प्रदेष सरकार/निदेषक, शहरी विकास की स्वीकृति के बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सरकार/निदेषक, शहरी विकास से प्राप्त करके व्यय को नियमित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिष्चित करें और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

ok0 l0	fnukad	foKkiu ij Hkqxrku dh xbZ jkf'k ¼₹½	ftl Hkqxrku fd;k x;k
132	09.06.2004	3000.00	अमर उजाला
175	02.07.2004	10000.00	सचिव, अन्तराष्ट्रीय लवी मेला
201	17.07.2004	9900.00	अमर उजाला
432	22.12.2004	1014.00	हिन्दुस्तान टाईम्स
641	30.03.2005	8660.00	दि ट्रिव्यून
388	08.12.2005	3680.00	दैनिक भास्कर
383	19.10.2006	1500.00	पारन समाचार षिमला
384	19.10.2006	7500.00	अमर उजाला
385	19.10.2006	7000.00	दैनिक भास्कर
386	19.10.2006	12000.00	दिव्य हिमाचल
387	19.10.2006	4500.00	अजीत समाचार
533	09.01.2007	5000.00	देनिक जागरण
534	09.01.2007	5000.00	दैनिक भास्कर
535	09.01.2007	5000.00	दिव्य हिमाचल
536	09.01.2007	5000.00	अमर उजाला
308	26.09.2007	4000.00	दैनिक भास्कर
523	10.01.2008	2500.00	दिव्य हिमाचल
524	10.01.2008	2500.00	दि ट्रिव्युन
547	16.01.2008	2500.00	दैनिक जागरण
592	08.02.2008	5661.00	दि ट्रिव्यून
595	08.02.2008	22445.00	गिरीराज साप्ताहिक
701	29.03.2008	2500.00	दैनिक भास्कर
702	29.03.2008	2500.00	अमर उजाला

317	20.10.2008	5000.00	दैनिक भास्कर
358	03.11.2008	2495.00	अमर उजाला
403	08.12.2008	2500.00	दैनिक भास्कर
404	08.12.2008	2500.00	दिव्य हिमाचल
405	08.12.2008	2500.00	आप का फैसला
429	19.12.2008	2500.00	दी ट्रिब्यून
482	15.01.2009	3200.00	दैनिक भास्कर
483	15.01.2009	2448.00	दैनिक जागरण
484	15.01.2009	2500.00	अमर उजाला
504	22.01.2009	2406.00	अजीत समाचार
550	26.02.2009	2262.00	गिरीराज
635	06.11.2009	7000.00	अमर उजाला, दैनिक भास्कर
756	18.12.2009	21500.00	विभिन्न समाचार
778	26.12.2009	2484.00	दैनिक जागरण
915	06.02.2010	5000.00	अमर उजाला
963	19.02.2010	11129.00	गिरीराज साप्ताहिक
985	26.02.2010	2000.00	दैनिक भास्कर
1064	22.03.2010	5145.00	दी ट्रिब्यून
382	26.08.2010	4000.00	दैनिक भास्कर
409	06.09.2010	7650.00	गिरीराज
662	07.12.2010	21380.00	विभिन्न अखबार
692	16.12.2010	5000.00	अमर उजाला
778	14.01.2011	4000.00	दैनिक भास्कर
811	20.01.2011	1950.00	दी हिमाचल ट्रिब्यून
		₹2]61]909-00	

30 ₹56]365@&dh foÙkh; Lohd'fr ikIr fd, fcuk gh 0;; djuk ¼&

अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा भुगतान की गई राषि को नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 53(2)(एल) तथा हिमाचल प्रदेष नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 की धारा 169 व 170 के अनुसार

पूर्व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जो कि अनियमित है। उपरोक्त नियमों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने से पहले व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए। भविष्य में निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः 1–67/06 यु0डी0 (ऑडिट) के दिषा निर्देषों अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए :–

ok0 l0	fnukd	0;; dh xbZ jkf'k	0;; dk fooj.k
712	19.03.2007	17650.00	हिमाचल प्रदेष प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड को कोनसैट फीस का नवीनीकरण
753	30.03.2007	2170.00	क्ररोकरी का सामान क्रय
767	30.03.2007	1800.00	पटटु व टोपी क्रय
768	30.03.2007	4345.00	फाग मेले में फोटोग्राफी व विडीओग्राफी
775	14.01.2011	30400.00	शाल, मफलर, लोई, क्रय
		₹56]365-00	

31 ½& <u>rduhdh Lohd`fr jkf'k ls ₹10]44]845@&dh jkf'k dk vf/kd 0k vfu;fer 0;; djuk</u>

लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान निष्पादित किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के निष्पादन में तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत राषि से अधिक राषि व्यय की गई थी जिस के लिए न तो संषोधित रूप से प्राक्कलन तैयार किए गए तथा न ही नियमानुसार संषोधित रूप से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी जो कि अनियमित एवं अनुचित व बहुत ही आपत्तिजनक है। तकनीकी स्वीकृति राषि से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता हेतु सक्षम अधिकारी से संषोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:–

Øe la[;k	fuekZ.k dk;Z dk uke	rduhdh Lohd`fr jkf'k ¼₹½	okLrfod 0;; ¼₹½	Lohd`fr ls vf/kd 0;;	fuekZ.k dk;Z jftLVj i"B
1	पी/एफ रेलिंग इन पाथ बिडिंग टू जज रैज़ीडैन्स	34326.00	44421.00	10095.00	19
2	पी/एल सी0सी0 पेवमेंट	38378.00	44203.00	5825.00	23

	फ्रोम हाऊस आफ सुरमी देवी टुवार्ड पिताम्बर				
3	ड्रेन फ्रोम एन0एच–22 से म्यूनिसिपल पाथ	43492.00	47942.00	4450.00	37
4	म्युनिसिपल टाऊन हॉल की वार्षिक मुरम्मत	28421.00	36912.00	8491.00	43
5	पी/एल सी0सी0 पेवमेंट फ्रोम हाऊस आफ विधावती से खिमीराम	146565.00	191014.00	44449.00	53
6	रेस्टोरेषन आफ पाथ लिडिंग टू ग्रेव यार्ड	27398.00	39487.00	12089.00	61
7	पाथ फ्रोम हाऊस आफ मोहन लाल टू पिताम्बर	162653.00	174531.00	11878.00	85
8	शापिंग कम्पलैक्स नीयर बस स्टैण्ड	502300.00	946340.00	444040.00	91
9	पाथ फ्रोम गांधी पार्क से इन्दिरा मार्केट	28618.00	45639.00	17021.00	100
10	पी/एल टाईल फ्लोरिंग इन पाथ नालू बावड़ी	123292.00	129664.00	6372.00	106
11	पाथ लिडिंग टुवार्डज टेम्पल	27810.00	43319.00	15509.00	106
12	शापिंग कम्पलैक्स नीयर बस स्टैण्ड	21990.00	51528.00	29538.00	109
13	म्यूनिसिपल युरीनल की वार्षिक मुरम्मत	16379.00	22778.00	6399.00	113
14	रेस्टोरेषन आफ पाथ नीयर हाऊस आफ सुरमी देवी	24036.00	38002.00	13966.00	114
15	रैहन बसेरा का निर्माण	2216940.00	2631663.00	414723.00	141
				₹10]44]845-00	

32 ¼i½ निर्माण कार्य का नाम : षोपिंग कम्पलैक्स बस स्टैण्ड रामपुर

संविदाकार का नाम : सोहन लाल

माप पुस्तिका संख्या : 95, पृष्ठ 1 से 8

निर्माण कार्य बिल की संख्या द्वितीय एवं अन्तिम बिल

उपरोक्त निर्माण का आबंटन श्री सोहन लाल संविदाकार को पत्र संख्याः एम0सी0/वर्किंग/99–1356, दिनांक 13.08.2008 द्वारा ₹9,52,565/–के लिए किया गया था यह निर्माण कार्य (माप पुस्तिका 95, पृष्ठ–8 के अनुसार) ₹9,46,340/–की राषि के लिए निष्पादित किया गया।

इस निर्माण कार्य की मद संख्या 11 ''प्रोवाईडिंग माईलड स्टील/टोर स्टील रिइनफोरसमैंट फार आर0सी0सी0 वर्क'' की 10 एम0एम0 सरिया की कार्य मात्रा माप पुस्तिका संख्याः 91 पृष्ठ 88 मे 964.50 रनिंग मीटर ली गई थी जबकि सही गणना अनुसार यह मात्रा 905.46 रनिंग मीटर ली जानी थी। इस प्रकार 59.04 रनिंग मीटर सरिया की मात्रा अधिक ली गई। 59.04 रनिंग मीटर का 0.62 किलोग्राम प्रति मीटर के हिसाब से 36.60 किलोग्राम का मुल्य ₹51/–प्रतिकिलों ग्राम की दर से ₹1867/–की राषि का अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹1867/–की राषि के अधिक भुगतान का उचित स्त्रोत से वूसली करके नगर परिषद खाते में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान किए गए निर्माण कार्य बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा संविदाकारों को गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली उचित माध्यम से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

ok 0 l0	fnukd	fuek.k dk;l dk uke	en l0 dk fooj.k	dk;l ek=k yh tkuh Fkh	dk;l ek=k yh xbl	vf/kd ek=k yh xbl	Hkqxrku nj	dqy vf/kd Hkqxrku
339	04.10.07	पी/एल कोटा स्टोन फ्लोरिंग बिहाईंड एम0सी0 शोपस	कोटा स्टोन स्लैब फ्लोरिंग	33.74 वर्ग मीटर	34.24 वर्ग मीटर	0.50 वर्गमीटर	640.00	320.00
196	16.07.08	टायलैट से	आर0आर0	11.11	11.40	0.29	1575.00	457.00

रास्ते का निर्माण	मैसनरी इन सी0एम0 1:6	घन मीटर	घन मीटर	घनमीटर

777-00

33 jk=h Hkkst ij ₹69900@& dh jkf'k dk vfu;fer 0;; ¼&

okÅpj la[;k 694] fnukad 18-12-10] jkf'k ₹69900@&

₹69900/–की राषि का भुगतान श्री मदन लाल, नोगली को दिनांक 14.11.2010 को लवी मेले के दौरान रात्री भोज आयोजन हेतु किया गया। उपरोक्त रात्री भोज में व्यय हेतु नगर परिषद रामपुर ने प्रस्ताव संख्या 418(4) दिनांक 27.10.2010 द्वारा अपनी स्वीकृति दी थी।

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः यु0डी0सी0 (5) 2/98, दिनांक 20.06.2007 द्वारा उचित खर्चा घोषित करने बारे शक्तियों का प्रत्यायोजन (डिलिगेषन ऑफ पावरज) के अनुसार हिमाचल प्रदेष नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 75(3) तथा हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(2) (एल) के अन्तर्गत सम्बन्धित निकाय द्वारा प्रस्ताव पारित करके ₹20000/–तक उचित खर्चा घोषित कर सकती है। ₹20000/–से अधिक खर्चे को निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष की स्वीकृति से उचित खर्चा स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त नियम के अनुसार नगर परिषद केवल ₹20000/–की राषि रात्री भोज पर व्यय कर सकती थी जबकि उपरोक्त रात्री भोज पर ₹69900/–की राषि व्यय की थी जो कि अनियमित है। अतः नगर परिषद रामपुर, खर्च की गई ₹69900/–की राषि को नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 53(2)(एल) के अर्न्तगत उचित खर्चा घोषित करने हेतु निदेषक, शहरी विकास से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करें और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

34 okÅpj la[;k% 775] fnukad 14-01-2011] jkf'k ₹30400@& ¼&

₹30400/–की राषि का भुगतान लवी मेले के दौरान शाल, मफलर, लोई इत्यादि के क्रय पर किया गया तथा उपरोक्त उपहार लवी मेले के दौरान विषिष्ट व्यक्तियों को दिए गए।

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः जी0ए0डी0–ए(ई)4–1/89–III, दिनांक 26.02.2008 अनुसार "It has been decided that from hence forth in all Govt. function no. gifts would be given to anyone including the Chief Guest. Only one flower bouqua or garland would be presented to the Chief Minister/Chief Guest."

हिमाचल प्रदेष सरकार के उपरोक्त निर्णय अनुसार किसी भी विषिष्ट व्यक्ति को कोई भी उपहार नहीं दिया जा सकता था परन्तु नगर परिषद रामपुर ने 17 वषिष्ट व्यक्तियों को ₹30400/–की राषि के उपहार बांटे जो कि सरकार के आदेषों की अवहेलना है और अनियमित है। नगर परिषद रामपुर विषिष्ट व्यक्तियों को ₹30400/–की राषि के उपहार बांटने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित माध्यम से करके नगर परिषद खाते में जमा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 ₹8-68 yk[k dh vfu;fer [kjhn djuk %&

हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्याः वित्त 1–सी(14)1/83, दिनांक 06.09.95 के क्रम संख्या 25 द्वारा जारी मितव्ययता निर्देषों के अर्न्तगत ₹1/–लाख तक की खरीद विभागाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करके अनुमोदित दरों के आधार पर नियन्त्रक भण्डार के माध्यम या डी0जी0एस0डी0 द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर की जानी आपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित खरीद नगर परिषद द्वारा बिना विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के तथा नियन्त्रक भण्डार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर न करके खुले बाजार से ही की गई थी जो कि सरकार द्वारा जारी उक्त संदर्भित निर्देषों की सरासर अवहेलना है इस प्रकार उक्त खरीद को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उक्त खरीद को ओपन मार्केट से व दूसरे राज्य से खरीद करने की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए :–

ok0 l0	fnukd	jkf'k ¼₹½	lkeku dk fooj.k	ftl ls Ø; fd;k x;k
75	24.05.2007	160881.00	डस्टवीन	राजदीपक फ्रेनीकेषन
393	27.10.2007	345658.00	बिजली का सामान	ट्रेड लिक्स चण्डीगढ़
379	29.11.2008	257670.00	बिजली का सामान	ट्रेड लिक्स चण्डीगढ़
615	27.03.2009	103684.00	बिजली का सामान	ट्रेड लिक्स चण्डीगढ़
		₹8]67]893-00		

36 निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः यु0डी0–एच(बी)(15).10/98. 17211–60, दिनांक 04.01.2010 के अनुसार “As per Section 53(1)(सी) of H.P. Municipal Act, 1994, the expenditure on Establishment should not exceed 1/3rd of the total expenditure of the Municipalities. In order to curtail expenditure on establishment instructions were issued from time to time not to engange staff on contract/Daily wages/Part time etc. without the approval of competent authority after 01-04-2007.

परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रामपुर ने उपरोक्त निर्देषों की अवहेलना करके श्री शीषी राम, चालक को दिनांक 01.11.2008 से मस्ट्रोल पर तैनात किया है और अंकेक्षण की अवधि तक उपरोक्त चालक कार्यरत हैं। बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से चालक को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और निदेषक, शहरी विकास की आदेषों की अवहेलना का मामला उपरोक्त निदेषालय के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

37 ¼i½ rsy dh vf/kd [kir ds dkj.k ₹19679-00 dk uqdlku ½&

डम्पर प्लेसर एच0पी0&06–2111 की लॉग बुक की पड़ताल पर पाया गया कि डम्पर प्लेसर में प्रयोग तेल की खपत निर्धारित खपत से अधिक की गई जिस कारण नगर परिषद को ₹19679.00 का नुकसान उठाना पड़ा जिसका विवरण नीचे दिया गया है सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 17.12.08 को तेल की खपत 4 कि0मी0 प्रति लीटर निर्धारित की गई। तेल की अधिक खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक खपत के कारण नगर परिषद को जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

ekg	okgu }kjk r; nwjh fd0eh0	ykWx cqd vuqlkj Mhty dh [kir ¼yhVj½	Mhty dh [kir gksuh pkfg, Fkh	vf/kd [kir yhVj	Mhty dk ¼₹½ izfr yhVj	dqy olwyh
04/07	1645	512	411	101	31.66	3198.00
05/07	1744	510	436	74	31.66	2343.00
06/07	1752	508	438	70	31.66	2216.00
07/07	1741	472	435	37	31.66	1171.00
08/07	1828	467	457	10	31.66	317.00
10/07	1996	505	499	6	31.66	190.00
01/08	1909	510	477	33	31.66	1045.00
05/08	1850	506	463	43	32.68	1405.00
07/08	1739	445	435	10	35.75	358.00
09/08	1182	370	296	74	35.75	2646.00
10/08	1918	547	480	67	35.75	2395.00
11/08	1400	417	350	67	35.75	2395.00

d|y	₹19]679-
ol|yh	00

¼ii½ ₹694@&d: Mhty dh [kir u djuk ½&

वाहन संख्याः एच0पी0–06(ए)–0720 के लॉग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि माह 12/08 के दौरान इस वाहन हेतु 271 लीटर तेल जारी किया गया जबकि उक्त वाहन द्वारा केवल 251 लीटर डीजल की खपत की गई 20 लीटर डीजल जिसका मुल्य 694/–था की न तो खपत की गई न ही 20 लीटर डीजल को आगामी माह के स्टाक में लिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त डीजल का दुरूपयोग हुआ है। अतः ₹694/–मुल्य के डीजल की खपत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त राषि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

38 fctyh 'kYd ol|yh dk fooj.k fo|r foHkkx l: ikIr u djuk ½&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः एल0एस0जी–डी(1)–9/94, दिनांक 24.06.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क की प्राप्ती होनी चाहिए थी अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि बिजली शुल्क की प्राप्त राषि के साथ विवरण जैसे कि विद्युत विभाग द्वारा किस माह की विस्तृत बिजली शुलक की राषि भेजी गई तथा उस मास में नगर परिषद क्षेत्र में कितनी यूनिट बिजली की खपत हुई थी, उक्त सूचना के अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। नगर परिषद द्वारा प्राप्त बिजली शुल्क क्षेत्र में उपयोग की गई बिजली के अनुसार थी या नहीं। अवधि 01.04.2007 से 31.03.11 तक बिजली खपत का माह वार विवरण विद्युत विभाग से प्राप्त किया जाए तथा भविष्य में बिजली शुल्क की जो राषि प्राप्त होती है उसके साथ बिजली खपत का विवरण भी मंगवाया जाए।

39 ¼1½ अंकेक्षण के दौरान बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित दिनांकों को स्टॉक वस्तुओं की मात्रा वास्तविक मात्रा से कम दर्षाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है इन वस्तुओं का दुर्विनियोजन किया गया है। उपरोक्त सामान की कीमत की वसूली उचित माध्यम से करके नगर परिषद खाते में जमा की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :–

LVkWd jftLVj i"B	fnukad	ek=k yh tkuh Fkh	yh xbZ ek=k	de ek=k yh xbZ	nj	dqy dher	lkeku dk fooj.k
7	22.05.07	8	2	6	115.00	690.00	एस0बी0एल0 इंगनेटर
9	15.10.07	16	10	6	115.00	690.00	एस0बी0एल0 इंगनेटर
37	13.09.10	2	1	1	1519.00	1519.00	तार 07/29
63	10.11.07	6	2	4	40.00	160.00	टयुब रोड
27	27.03.06	16	15	1	95.00	95.00	हौलोजन लैम्प
						₹3154-00	

¼2½ अंकेक्षण के दौरान बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित दिनांकों को स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत हेतु सामान जारी किया गया दर्षाया था परन्तु यह सामान बिना इण्डैंटों के ही जारी किया गया जिसके अभाव में जारी किए गए सामान के उपयोग की पुष्टि नहीं हो सकी। जारी किए गए सामान की उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए अन्यथा जारी किए गए सामान की कीमत की वसूली उचित माध्यम से करके नगर परिषद खाते में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए :—

LVkWd jftLVj i"B	tkjh djus dh frfFk	lkeku dk fooj.k	ek=k	nj	dqy dher
3	12.05.07	एस0वी0एल0 लैम्प 250 वाट	23	475.00	10925.00
4	15.10.07	एस0वी0एल0 लैम्प 250 वाट	10	475.00	4750.00
5	15.10.07	एस0बी0एल0 चौक 250 वाट	5	835.00	4175.00
7	15.10.07	एस0बी0एस इंगनीटर	10	115.00	1150.00
9	15.10.07	एस0बी0एल0 कम्पैक्टर	10	310.00	3100.00
11	15.10.07	एस0बी0एल0 होल्डर 250 वाट	10	55.00	550.00
13	27.03.07	टयूब 40 वाट	14	40.00	560.00
15	27.03.07	स्टार्टर 40 वाट	14	10.00	140.00
27	25.05.07	होलोजन लैम्प 1000 वाट	18	95.00	1710.00
39	22.03.08	वायर 23/76	180	1215.00	1215.00

			मीटर		
53	31.10.09	जी0आई0 ब्रेकेर	17	150.00	2550.00
					₹30825-00

40 ¼i½ lfonkdkj [kkrk cgh rS;kj u djuk ¾&

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा संविदाकारों के साथ हुए लेन–देन की प्रविष्टियों हेतु संविदाकार खाता बही का रख–रखाव नहीं किया गया था जिस से संविदाकार के साथ हुए लेन–देन की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। हिमाचल प्रदेष म्युनिसिपल अकाऊंटस कोड 1975 के नियम 204 के अनुसार संविदाकार खाता बही का रख–रखाव किया जाना वांछित था। संविदाकार खाता बही को तैयार न किए जाने के परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु जारी की गई निर्माण सामग्री व अन्य भुगतान की वसूली इस महत्वपूर्ण अभिलेख संविदाकार खाता बही के माध्यम से की जाती है। परिषद द्वारा संविदाकार खाता बही का रख–रखाव न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस महत्वपूर्ण अभिलेख को प्रारम्भ से ही तैयार करके यह भी सुनिष्चित किया जाए कि संविदाकार को जारी किए गए सामान की वसूली हेतु कोई भी राषि शेष नहीं है।

¼ii½ lgk;rk vuqnku jftLVj dk mfpr izdkj ls rS;kj u djuk ¾&

सहायता अनुदान रजिस्टर (फार्म जी–6) की पड़ताल करने पर पाया गया कि रजिस्टर में दिए गए कॉलमों के अनुसार स्वतः स्पष्ट रूप से लेखांकित नहीं किया गया था। तैयार किए गए रजिस्टर में यह वर्णित नहीं था कि प्राप्त सहायता अनुदान का रोकड़ बही में प्राप्ति व दर्षाए गए व्यय का क्या सम्बन्ध था। सहायता अनुदान रजिस्टर में प्राप्ति संदर्भ व व्यय वाऊचरों को उल्लेखित न किए जाने के परिणामस्वरूप उचित प्रकार से पड़ताल की जानी सम्भव न थी। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि सहायता अनुदान रजिस्टर के प्रारम्भ में इसे कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवष्यक प्रमाण पत्र देते हुए सत्यापित भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सहायता अनुदान रजिस्टर में प्रत्येक अनुदान की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती । सहायता अनुदान रजिस्टर नियमानुसार तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस महत्वपूर्ण अभिलेख को उचित

प्रकार से स्वतः स्पष्ट रूप से नियमानुसार तैयार किया जाए और कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

¼iii½ हिमाचल प्रदेष नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार नगर परिषद की चल व अचल सम्पति की सत्यापना 3 वर्षों में एक बार मैम्बर कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए बषर्ते कि वही मैम्बर इस कार्य के लिए दोबारा तैनात न किए गए हो। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद रामपुर द्वारा स्टॉक व स्टोर वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था तथा न ही चल व अचल सम्पति रजिस्टर का रख–रखाव किया गया था जोकि आपत्तिजनक है। अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार स्टॉक व स्टोर वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाएं तथा चल व अचल सम्पति रजिस्टर का रख–रखाव सुनिष्चित करें और प्रत्यक्ष सत्यापन की वार्षिक रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करनी सुनिष्चित की जाए।

41 y?kq vkifÙk foojf.kdk ¼& यह अलग से जारी नहीं की गई। लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

42 fu"d"k ¼& लेखों में और अधिक सुधार की आवष्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पेरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवष्यक पग उठाए जाएं।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)51/86–खण्ड–IV दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i`thd`r ¼ 1- सचिव, नगर परिषद रामपुर बुषहर, जिला षिमला (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेंजें।

2. निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½

ifjf'k"V&^^ **

¼1½ vkd{k.k ifjorZu vof/k 04@67 ls 03@68

1	पैरा 2(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत

¼2½ vkd{k.k ifjorZu vof/k 04@68 ls 03@69

1	पैरा 3(डी)	अनिर्णीत

¼3½ vkd{k.k ifjorZu vof/k 04@70 ls 03@75

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ए)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ए)(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ए)(11)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ए)(12)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(1) मद–1	अनिर्णीत
8	पैरा 8(2) मद–2	अनिर्णीत
9	पैरा 11(1) ए से च	अनिर्णीत
10	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(5)	अनिर्णीत

15	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(8)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(5)	अनिर्णीत
21	पैरा 12(6)	अनिर्णीत
22	पैरा 12(7)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(8)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(9)	अनिर्णीत
25	पैरा 12(11)	अनिर्णीत
26	पैरा 12(12)	अनिर्णीत
27	पैरा 12(13)	अनिर्णीत
28	पैरा 12(14)	अनिर्णीत
29	पैरा 12(15)	अनिर्णीत
30	पैरा 12(16)	अनिर्णीत
31	पैरा 12(17)	अनिर्णीत
32	पैरा 12(18)	अनिर्णीत
33	पैरा 12(19)	अनिर्णीत
34	पैरा 12(20)	अनिर्णीत
35	पैरा 12(21)	अनिर्णीत
36	पैरा 12(22)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(23)(बी)(2)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(23)(बी)(5)	अनिर्णीत
39	पैरा 12(23)(बी)(6)	अनिर्णीत
40	पैरा 12(23)(बी)	अनिर्णीत
41	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
42	पैरा 14(16)	अनिर्णीत
43	पैरा 14(27)	अनिर्णीत
44	पैरा 14(30)	अनिर्णीत

45	पैरा 14(44)	अनिर्णीत	
46	पैरा 14(45)	अनिर्णीत	
47	पैरा 14(50)	अनिर्णीत	
48	पैरा 14(51)	अनिर्णीत	

¼4½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@75 ls 03@80

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(ए)(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(ए)(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	समाप्त	(यह पैरा दिनांक 27.11.93 को निरीक्षण के समय समाप्त कर दिया था)
5	पैरा 27	अनिर्णीत	

¼5½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@83 ls 03@87

1	पैरा 6(1)(डी)	समाप्त	(यह पैरा दिनांक 27.11.93 को निरीक्षण के समय समाप्त कर दिया था)
2	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत	
3	पैरा 15(6)	अनिर्णीत	
4	पैरा 19(1)	समाप्त	(प्रषासन के आदेष 06.11.83 अनुसार दर कम की गई क्योंकि मेला पार बंगला ग्राऊंड में लगा था।)
5	पैरा 19(2)	समाप्त	(₹70 ⁄ –रसीद संख्याः 20427, दिनांक 09.08.11 द्वारा जमा)
6	पैरा 22	समाप्त	(₹60 ⁄ –रसीद संख्याः 20223 ⁄ 203, दिनांक 03.06.11 द्वारा जमा)

¼6½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@87 ls 03@89

1	पैरा 16	अनिर्णीत

2	पैरा 19	समाप्त	(कमेटी की कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्ताव संख्याः 55(6) दिनांक 20.05.11 द्वारा ली गई)
3	पैरा 21	अनिर्णीत	

¼7½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@89 ls 03@91

1	पैरा 5(ख)	समाप्त	(सम्बन्धित अनुदान राषि सम्बन्धित स्कीमों में सरकार के आदेषानुसार व्यय कर दी थी।)
2	पैरा 10(क)	समाप्त	(सम्बन्धित अग्रिम राषि दिनांक 22.06.94 को वाऊचर संख्याः 104 व 105 द्वारा समायोजित की गई)
3	पैरा 11(2)(ग)	समाप्त	(सम्बन्धित रजिस्टर की सत्यापना उपरान्त)
4	पैरा 11(3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11(3)(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 11(6)(क)	समाप्त	(मूल अभिलेख में पहले ही निर्णीत है)
7	पैरा 11(6)(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11(7)(क)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(7)(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 13 आंषिक	अनिर्णीत	
11	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 17(क)	अनिर्णीत	
13	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 18	अनिर्णीत	
15	पैरा 19(क)	अनिर्णीत	
16	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत	
18	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत	
19	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	
20	पैरा 19(2)(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 19(2)(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 19(2)(ग)	अनिर्णीत	
23	पैरा 20(ख)(1)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

24	पैरा 21(ख)	समाप्त	(₹39/–समायोजन द्वारा दिनांक 30.12.91 को जमा)
25	पैरा 21(3)(ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 21(9)(क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 21(9)(ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा 22(1)	अनिर्णीत	
29	पैरा 22(2)	समाप्त	(सम्बन्धित लकड़ी के उपयोग उपरान्त)
30	पैरा 23(5)	अनिर्णीत	
31	पैरा 23(7)	अनिर्णीत	

¼8½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@91 ls 03@94

1	पैरा 8(11)	अनिर्णीत	
2	पैरा 8(3)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
3	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10(4)	अनिर्णीत	
5	पैरा 10(5)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(6)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(7)(1)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10(7)(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10(15)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
12	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
13	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	
14	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	
15	पैरा 13(3)	अनिर्णीत	
16	पैरा 13(4)	अनिर्णीत	
17	पैरा 13(5)(1)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13(5)(2)	अनिर्णीत	
19	पैरा 13(6)(1)	अनिर्णीत	

20	पैरा 13(6)(2)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(6)(3)	अनिर्णीत
22	पैरा 14(1)	अनिर्णीत
23	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
25	पैरा 15(3)	अनिर्णीत

¼9½ ijh{kd LFkkuh; fuf/k ys[kk fgekpy izns'k f'keyk&2 dk fnukd 27-11-93 dh fujh{k.k fVIi.kh

1	पैरा 1	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
2	पैरा 2(ख)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
3	पैरा 2(ग)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख व स्वीकृति की पुष्टि उपरान्त)
4	पैरा 2(घ)	समाप्त	(स्टॉक प्रविष्टि 58 स्टॉक रजिस्टर 18/83 पर दर्ज व उपयोग दर्षाया गया)
5	पैरा 2(छ)	समाप्त	(मूल अभिलेख में पहले ही निर्णीत है)
6	पैरा 2(ज)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(1)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(3)	अनिर्णीत	

¼10½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@94 ls 03@04

1	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(6)	अनिर्णीत
8	पैरा 10(6)(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(2)	अनिर्णीत

11	पैरा 11(3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11(4)	अनिर्णीत	
13	पैरा 11(5)	अनिर्णीत	
14	पैरा 11(6)	अनिर्णीत	
15	पैरा 11(7)	अनिर्णीत	
16	पैरा 11(8)	अनिर्णीत	
17	पैरा 11(9)	अनिर्णीत	
18	पैरा 14	अनिर्णीत	
19	पैरा 15(1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 15(5)	अनिर्णीत	
21	पैरा 15(6)	अनिर्णीत	
22	पैरा 15(7)	अनिर्णीत	
23	पैरा 15(8)	अनिर्णीत	
24	पैरा 15(9)	अनिर्णीत	
25	पैरा 15(11)	अनिर्णीत	
26	पैरा 15(13)	अनिर्णीत	
27	पैरा 15(14)	अनिर्णीत	
28	पैरा 15(15)	अनिर्णीत	
29	पैरा 15(16)	अनिर्णीत	
30	पैरा 15(22)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
31	पैरा 15(25)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
32	पैरा 15(26)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
33	पैरा 15(27)	समाप्त	(पत्र संख्याः 12798, दिनांक 20.11.07 की अनुपालना के आधार पर) प्रस्तावना संख्याः 157, दिनांक 07.01.08
34	पैरा 15(30)	अनिर्णीत	
35	पैरा 15(31)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
36	पैरा 15(32)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
37	पैरा 16(1)	अनिर्णीत	
38	पैरा 16(2)	अनिर्णीत	

39	पैरा 16(3)	अनिर्णीत	
40	पैरा 16(4)	अनिर्णीत	
41	पैरा 16(5)	अनिर्णीत	
42	पैरा 16(6)	समाप्त	(पत्र संख्याः यु0एल0बी0एच(सी)(15)–2/86–IX-12798, दिनांक 20.11.2007 द्वारा मूल अभिलेख में समाप्त)
43	पैरा 16(7)	अनिर्णीत	
44	पैरा 16(8)(क)(ख)	समाप्त	(₹1128/–की वसूली वाऊचर संख्या 21, दिनांक 09.04.07 द्वारा की गई)
45	पैरा 16(9)	अनिर्णीत	
46	पैरा 16(10)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
47	पैरा 16(11)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
48	पैरा 16(12)	अनिर्णीत	
49	पैरा 16(13)	अनिर्णीत	
50	पैरा 16(14)	अनिर्णीत	
51	पैरा 16(15)	अनिर्णीत	
52	पैरा 16(17)	अनिर्णीत	
53	पैरा 16(18)	अनिर्णीत	
54	पैरा 16(19)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
55	पैरा 16(20)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
56	पैरा 16(21)	समाप्त	(किराए की वसूली 11/2003 से की जा रही है)
57	पैरा 16(22)	समाप्त	(पत्र संख्याः 12798, दिनांक 20.11.2007 द्वारा पहले ही निर्णीत)
58	पैरा 16(23)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
59	पैरा 16(25)	अनिर्णीत	
60	पैरा 17(2)	समाप्त	(पत्र संख्याः 12798, दिनांक 20.11.2007 द्वारा मूल अभिलेख में पहले ही निर्णीत)
61	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	
62	पैरा 18(3)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
63	पैरा 18(4)	अनिर्णीत	

64	पैरा 18(5)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
65	पैरा 18(6)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
66	पैरा 18(7)	अनिर्णीत	
67	पैरा 18(11)	अनिर्णीत	
68	पैरा 18(12)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
69	पैरा 18(13)	समाप्त	(पीकअप वैन को ₹60,000/–में विक्रय कर दी थी)
70	पैरा 19(1)	अनिर्णीत	
71	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	
72	पैरा 19(3)	अनिर्णीत	
73	पैरा 19(4)	अनिर्णीत	
74	पैरा 19(5)	अनिर्णीत	
75	पैरा 19(6)	अनिर्णीत	
76	पैरा 19(7)	अनिर्णीत	
77	पैरा 19(8)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेंख की पुष्टि उपरान्त)
78	पैरा 19(9)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेंख की पुष्टि उपरान्त)
79	पैरा 19(10)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेंख की पुष्टि उपरान्त)
80	पैरा 19(11)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेंख की पुष्टि उपरान्त)
81	पैरा 19(12)	अनिर्णीत	
82	पैरा 19(17)	अनिर्णीत	

¼11½ vdk{k.k ifrosnu vof/k 04@2004 ls 03@2007

1	पैरा 1	समाप्त	(ड्राफ्ट संख्याः 588118, दिनांक 20.06.07 द्वारा ₹39000/–जमा किए गए)
2	पैरा 2	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
3	पैरा 2(i)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
4	पैरा 2(ii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 2(iii)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
6	पैरा 3	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
7	पैरा 4(i)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
8	पैरा 4(ii)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)

9	पैरा 4(iii)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
10	पैरा 4(iv)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
11	पैरा 4(v)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
12	पैरा 4(vi)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
13	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(viii)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
15	पैरा 4(ix)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
16	पैरा 4(x)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर व सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
17	पैरा 4(xi)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर व सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
18	पैरा 5(i)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
19	पैरा 5(ii)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
20	पैरा 6(i)	समाप्त	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
21	पैरा 6(ii)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख में संदर्भित करने उपरान्त)
22	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(iv)	समाप्त	(निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः 10837, दिनांक 23.09.05 के आधार पर)
24	पैरा 6(v)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
25	पैरा 6(vi)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
26	पैरा 6(vii)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
27	पैरा 6(viii)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
28	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(x)	समाप्त	(₹933/—रसीद संख्याः 029593/51, दिनांक 11.04.07 द्वारा लोक निर्माण विभाग ने जमा कर दिए थे)
30	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(xii)	समाप्त	(निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः 13247, दिनांक 11.11.04 की स्वीकृति उपरान्त)
32	पैरा 6(xiii)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)

33	पैरा 6(xiv)	समाप्त	(निदेषक, शहरी विकास की कार्योत्तर स्वीकृति उपरान्त)
34	पैरा 6(xv)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
35	पैरा 7(i)	समाप्त	(₹2366/– की राषि रसीद संख्याः 13813, दिनांक 17.09.10 द्वारा जमा की गई)
36	पैरा 7(ii)	समाप्त	(₹1671/– की राषि रसीद संख्याः 18798, दिनांक 17.06.10 द्वारा जमा की गई)
37	पैरा 7(iii)	समाप्त	(₹632/– की राषि रसीद संख्याः 20462, दिनांक 30.07.11 द्वारा जमा की गई)
38	पैरा 7(iv)	समाप्त	(₹247/– माप पुस्तिका संख्याः 2/2003, दिनांक 30.07.11 द्वारा वसूल की गई)
39	पैरा 7(vi)	समाप्त	(सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
40	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत	
41	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत	
42	पैरा 7(ix)	अनिर्णीत	
43	पैरा 7(x)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
44	पैरा 7(xi)	समाप्त	(विभागीय जस्टीफिकेषन तैयार करने उपरान्त)
45	पैरा 8	अनिर्णीत	